दिनांक–25.06.2019 को 12.00 पूर्वाहन में जल संसाधन विभाग के नेपाल हाउस अवस्थित सभाकक्ष में आयोजित 'राज्य स्तरीय PIM कार्यकारिणी समिति' की बैठक की कार्यवाही।

बैठक में सर्वप्रथत राज्य स्तरीय PIM कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष द्वारा आगंतुक सदस्यों का स्वागत किया गया। इस बैठक में MoWR के तत्वाधान में गठित IndiaNPIM के अध्यक्ष श्री फनीश सिन्हा द्वारा IndiaNPIM का प्रतिनिधित्व किया गया एवं अध्यक्ष महोदय ने विशेष रूप से श्री सिन्हा का जल संसाधन विभाग की तरफ से आमंत्रण स्वीकार करने हेतु धन्यवाद दिया। बैठक में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा हुई एवं निर्णय लिये गये :–

2. बैठक में अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग–सह–अध्यक्ष–राज्य स्तरीय PIM कार्यकारिणी समिति' द्वारा बताया गया कि जल संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 2014 में सहभागिता सिंचाई प्रबंधन नियमावली अधिसूचित की गई परन्तु इसपर आगे कोई कार्य नहीं किया गया। अध्यक्ष द्वारा PIM के तहत जल की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए प्रबंधन में कृषकों की राय को महत्व देने का आग्रह किया गया। Field में संरचनाओं को दुरूस्त किया जाना, किसानों हेतु Cropping Intensity की जानकारी, जल संरचना एवं नये तकनीकों के उपयोग, इजरायल द्वारा Micro Irrigation के द्वारा संबंधी उत्पादन में महारत हासिल करने इत्यादि विषयों पर प्रकाश डालते हुये, अध्यक्ष द्वारा किसानों एवं पदाधिकारियों के बीच सम्पर्क एवं साझा जल प्रबंधन विषय की महत्ता को समिति के समक्ष रखा गया। PIM की अवधारणा इसी साझा जल प्रबंधन पर आधारित है। उन्होंने सहभागिता सिंचाई प्रबंधन में एकरारनामा के अधीन विभाग द्वारा पूर्ण की गई योजना/योजना अंश को 'जल उपभोक्ता समिति' को हस्तांतरित किये जाने की आवश्यकता बताई, जिससे योजना का सामान्य संपोषण एवं रख–रखात 'जल उपभोक्ता समितियों' द्वारा किया जा सके तथा विभाग की योजनाओं का पूरा–पूरा लाभ कृषकों को मिल सके।
3. स्वागत भाषण के पश्चात् प्रथम एजेन्डा के आलोक में IndiaNPIM के अध्यक्ष श्री फनीश सिन्हा द्वारा PIM विषय पर एक प्रस्तुतीकरण दिया गया। प्रस्तुतीकरण में श्री सिन्हा ने PIM को परिभाषित करते हुये, किसी भी राज्य में इसे लागू करने की सफलता के लिए सर्वप्रथम नहर प्रणालियों में 'जल उपभोक्ता संगठनों' (Water Users Association) के गठन पर बल दिया। इसके लिए NGOs की सहायता के महत्त्व पर भी प्रकाश डाला गया। चर्चा में WUAs के कार्यो का आकलन हेतु Performance Indicators निश्चित किये जाने का निर्णय हुआ।

4. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान इत्यादि राज्यों में PIM की सफलता की कुंजी के रूप में श्री सिन्हा ने झारखण्ड राज्य में भी एक PIM Act बनाने का सुझाव दिया। जल संसाधन, झारखण्ड के अपर मुख्य सचिव ने इस सुझाव को तुरन्त स्वीकार कर लिया। श्री सिन्हा ने बताया कि झारखण्ड में निर्मित PIM Rules में भी कई कमियाँ हैं, जिन्हें सुधारने पर समिति द्वारा सहमति बन गई। प्रस्तुतीकरण में निम्न तथ्य भी रेखांकित किये गये :—

(i) PIM से related Data Bank का creation,

(ii) Water User Associations हेतु Parameters का निर्धारण

(iii) Experience sharing हेतु Platform का प्रावधान

(iv) Different module of training for officials and Water Users Association

5. विमर्श में 'जल उपभोक्ता समितियों' (WUAs) के गठन में कृषक सदस्यों के साथ—साथ विभागीय कनीय अभियंता को भी शामिल करने पर सहमति बनी। श्री सिन्हा ने अपने PIM के अनुभव बताते हुये स्पष्ट किया कि WUAs को गठन एवं क्रियाशील करने के बाद उन्हें उनके भरोसे छोड़ देने पर असफलता हाथ लगती है।

6. निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग, राँची द्वारा भी Water Users Associations को प्रशिक्षित करने पर बल देते हुये बताया गया कि इस activities हेतु उनके यहाँ जो निर्धारित मापदंड हैं, वे उपलब्ध करायेंगे। इसका लाभ PIM में लिया जा सकेगा।

7. नाबार्ड के प्रतिनिधि द्वारा भी अपने विचार व्यक्त करते हुये PIM में कर्नाटक एवं उड़ीसा में सफलता की चर्चा की गई। अपने सुझाव में उन्होंने WUAs को प्रोत्साहित करने हेतु, Award पर चर्चा की। इसपर सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

8. PIM की सफलता के लिए विमर्श में निम्न बिन्दुओं पर समिति द्वारा एक स्वर से सहमति व्यक्त की गई :—

(i) कृषकों, NGOs एवं Canal Officers को प्रशिक्षण एवं PIM सफल प्रणालियों में अन्य राज्यों में इनका Visit,

(ii) 'जल उपभोक्ता संगठनों' (WUAs) को सुदृढीकरण हेतु सहायता राशि का प्रावधान,

(iii) स्कीमों के साथ PIM का Convergence पर बल,

(iv) पंचायतों के साथ Convergence के बिन्दु पर Rules के according निर्णय,

(v) PIM Cell में multi-disciplinary Experts की सहभागिता (यथा PIM Expert, कृषि विशेषज्ञ, Socialist, Scientist इत्यादि)

9. कार्यकारिणी समिति द्वारा एजेन्डा के प्रत्येक बिन्दु की समीक्षा करते हुये यह निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम Act एवं rules को नये सिरे से frame करने की कार्रवाई की जाये। IndiaNPIM ने इस कार्य के लिए अपनी सेवायें देने का सुझाव दिया जिसे स्वीकार कर लिया गया। IndiaNPIM से इस बिन्दु पर draft MoU प्राप्त होगा जिसके आधार पर जल संसाधन विभाग, झारखण्ड एवं IndiaNPIM के बीच कार्य के बिन्दुओं पर MoU किया जायेगा।

10. PIM विषय पर कार्यकारिणी समिति द्वारा आगामी दिनों में एक Workshop करने का निर्णय लिया गया। इसके तिथि एवं जगह का निर्धारण विभाग द्वारा किया जायेगा।

11. कांची से हेसाडीह समिति के अध्यक्ष श्री लाल मोहन महतो ने अपनी राय में प्रणाली को दुरूस्त करने की आवश्यकता बताई। इसे विभागीय स्तर पर take-up करने की सहमति दी गई।

12. PIM के लिए कार्य करने हेतु NGOs के empanelment की कार्रवाई करने का भी निर्णय लिया गया।

13. बैठक में 10 अगस्त 2019 तक 'जल उपभोक्ता समितियों' के गठन हेतु युद्धस्तर पर कार्य करने का निर्णय लिया गया।

सभी सदस्यों एवं विशेष आमंत्रितों को अंत में धन्यवाद के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

8.7.19

(अरूण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

पत्रांक– 890 रॉंची/दिनांक 10.07.2019

प्रतिलिपिः–प्रतिलिपि–विशेष आमंत्रित, अध्यक्ष, IndiaNPIM श्री फनीश सिन्हा (phanishsinha@gmail.com, indianpim[illegible]@gmail,com, FAX No-011-26569442) को सूचनार्थ एवं बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में MoU प्रारूप उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ प्रेषित।

(हेमन्त कुमार)
अभियंता प्रमुख–I

पत्रांक– 890 रॉंची/दिनांक 10.07.2019

प्रतिलिपिः–'राज्य स्तरीय PIM कार्यकारिणी समिति' के सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हेमन्त कुमार)
अभियंता प्रमुख–I

पत्रांक– 890 रॉंची/दिनांक 10.07.2019

प्रतिलिपिः–प्रतिलिपि माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

(हेमन्त कुमार)
अभियंता प्रमुख–I

पत्रांक–.........890.........

राँची/दिनांक...10.07.2019

प्रतिलिपिः–सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई एवं शीघ्र अनुपालन हेतु प्रेषित। कृपया PIM कोषांग को सुदृढ़ करते हुये WUA के गठन हेतु कृत कार्रवाई प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक विभाग को उपलब्ध कराया जाये।

(हेमन्त कुमार)
अभियंता प्रमुख–I

पत्रांक–.........890.........

राँची/दिनांक...10.07.2019

प्रतिलिपिः–अभियंता प्रमुख–I/II, के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता (मो०), जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1/2 एवं 3 राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हेमन्त कुमार)
अभियंता प्रमुख–I

पत्रांक–.........890.........

राँची/दिनांक...10.07.2019

प्रतिलिपिः–विभागीय वेब मैनेजर, (अभियंत्रण कोषांग), जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोडिंग के अनुरोध के साथ प्रेषित।

(हेमन्त कुमार)
अभियंता प्रमुख–I